

20.11.24

वकील उमरीने उपस्थित / विप्राप्ति संख्या 01  
 के वकील उप. विप्राप्ति संख्या 2 व 3  
 के वकील उपस्थित / उक्त पक्ष आश्रीवक्त्रों  
 को पहल सुनी गयी वदम पर प्रत्येक  
 पक्ष तथा पत्रावली का अवलोकन को  
 पर वादा कि मूलवाद खातेदारी कोषणा  
 कि सुमार्ति निवेद्या का अनुतोष याच  
 गदा है, को कि मूलवाद में लाक्षण सबूतों  
 के अभाव पर न होगा कि प्राप्ति/ वकीली  
 बाहर प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं  
 एवम् हस्तगत प्रकृत में सम्पत्ति अर्थात्  
 को सम्पत्ति रखा वादा प्रमित प्रतीत होता  
 है, ताकि पत्रावली के नये विवाद भागों  
 को नहीं रहे। चेती हस्त में प्राप्ति  
 का अभाव स्वीकार किया जात कदापि  
 टाका के अर्थात् दिनांक 17.11.2023 को मूलवाद  
 के विवाद तक कलम किया जात है।

पत्रावली पक्षों सुनी वदम वाक्त्रों  
 हस्तगत है।

*[Signature]*  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतरा  
 20.11.2024